कार्यालय अधीक्षक मद्यनिषेध, मुजफ्फरपुर

****

-: कार्यालय आदेश :-

-:शुद्धि-पत्र:-

बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विभिन्न थाना/उत्पाद कांडों में जप्त एवं अधिहरित वाहनों की सार्वजनिक नीलामी की आम सूचना जिला मद्यनिषेध प्रशाखा, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक–1324/म0नि0, दिनांक–28.08.2021 द्वारा निर्गत की गई थी।

संवीक्षा के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि अधिहरण वाद संख्या–06/128/2020–21, बोचहाँ थाना कांड संख्या–132/2019, दिनांक–06.04.2019 में अधिहरित वाहन उक्त सार्वजनिक नीलामी आम सूचना में प्रकाशित क्रमांक 39 पर अंकित वाहन निबंधन संख्या–BR06PD-9548 से भिन्न है। अभिलेखों के परिशीलन के उपरांत यह ज्ञात हुआ कि माननीय न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पूर्वी, मुजफ्फरपुर के अधिहरण आदेश में दर्ज कांड संख्या से संबंधित वास्तविक वाहन निबंधन संख्या–BR06GD-5984 के स्थान पर BR06PD-9548 टंकित है, जिसका अनुवर्ती शुद्धि पत्रांक–79, दिनांक–26.01.2021 निर्गत किया गया है।

अतएव अपर समाहर्त्ता–सह–अपर जिला दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर के आदेश दिनांक–11.09.2021 के आलोक में एतद् विषयक शुद्धि पत्र निर्गत करते हुए **सर्वसाधारण को यह ज्ञापित किया जाता है कि सार्वजनिक नीलामी आम सूचना ज्ञापांक–1324, दिनांक–28.08.2021 के क्रमांक 39 में अंकित वाहन निबंधन संख्या–BR06PD-9548 के स्थान पर BR06GD-5984 पढ़ा एवं समझा जाए।**

अधीक्षक मद्यनिषेध,
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 1527/म०नि०, मुज०, दिनांक 11/09/2021

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त शुद्धि पत्र को जिला के एन0आई0सी0 के बेवसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता–सह–अपर जिला दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :– जिला लेखा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला नजारत उपसमाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पूर्वी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधीक्षक मद्यनिषेध,
मुजफ्फरपुर।